रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 307] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 18 1983/श्रावण 27, 1905
No. 307] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 18, 1983/SRAVANA 27, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1983

सा. का. नि. 652(अ) —केन्द्रीय सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 13 के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के न्यासी मण्डल में कार्यकारी निदेशक (लाइनर व यात्री सेवाएं), शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया, बम्बई के स्थान पर कार्यकारी निदेशक/प्रभारी निदेशक (लाइनर व यात्री सेवाएं), शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया, बम्बई को न्यासी नियुक्त करती है तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय (पत्तन पक्ष) में भारत सरकार की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 288(अ), दिनांक 31 मार्च, 1982 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 10 के आगे "कार्यकारी निदेशक (लाइनर व यात्री सेवाएं), शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, बम्बई" के स्थान पर, "कार्यकारी निदेशक/प्रभारी निदेशक (लाइनर व यात्री सेवाएं), शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया, बम्बई" रहेंगे ।

[फाइल सं. पी. डब्ल्यू /पी. टी. बी.-61/811
पी. वी. वेंकटकृष्णन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 1983

G.S.R. 652(E).—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 3, read with section 13, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the Executive Director|Director In-charge (Liner and Passenger Services), Shipping Corporation of India, Bombay, as a Trustee on the Board of Trustees of the Port of Bombay vice the Executive Director (Liner and Passenger Services), Shipping Corporation of India, Bombay and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 288(E), dated the 31st March, 1982, namely :—

In the said notification, against Serial Number 10, for the entries "Executive Director (Liner and Passenger Services), Shipping Corporation of India, Bombay", the entries "Executive Director|Director In-charge (Liner and Passenger Services), Shipping Corporation of India, Bombay" shall be substituted.

[F. No. PW|PTB-61|81]
P. V. VENKATAKRISHNAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983